



ਚਿਤ੍ਰਕੁਟ-ਪੁਲਿਸ

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एनटी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू०पी०-११२ नम्बर/वूमेन पावर लाइन १०९०/यू०पी कॉप एप/१८१ महिला हेल्प लाइन/१०७६ मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/१०९८ चाइल्ड हेल्प लाइन/१०२ स्वास्थ्य सेवा/१०८ एम्बूलेन्स सेवा/१९३० साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियाँ दी गईं । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमा सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में ०१० श्री अतीन्द्र सिंह चौहान मय हमराह आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा अभियुक्त बाला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र चिन्तामणि त्रिपाठी निवासी तिलक नगर कस्बा अंतर्रा जनपद बांदा को एक थैले में 110 अदद देशी क्वार्टर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). आज दिनांक-15.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री यामीन अहमद के नेतृत्व में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 एलआईयू शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ए एस चेक टीम बांदा,डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामधाट,निर्मोही अखाड़ा एवं मेला क्षेत्र सीतापुर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनांक 15.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिकूट आरक्षियों को अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, संवेदनशीलता के महत्व के बारे में बताया गया। जिसमें सोशल मीडिया आचरण, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न करने एवं विभागीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश शामिल हैं।

महोदय द्वारा रिकूट आरक्षियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षण के दौरान तथा बाद में कर्तव्यनिष्ठा का पालन करें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही आरक्षियों को सोशल मीडिया नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश है। विभागीय गोपनीय जानकारी साझा न करने, आपत्तिजनक पोस्ट न करने एवं संस्था की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया। उल्लंघन पर तत्काल अनुशासनिक कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(5). थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराको में हुई चोरी की घटना का माल खरीदने वाली विवेचना से प्रकाश में आयी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

अभियुक्ता के कब्जे से चोरी का लगभग 12 ग्राम पिघला सोना बरामद।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराको में हुई चोरी के सामान को खरीदने वाली अभियुक्ता को चोरी के माल लगभग 12 ग्राम पिघला सोना के साथ गिरफ्तार किया।

→ उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2025 को अजय कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयाग दत्त पाण्डेय निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि रात में वह अपने छत पर सोये हुए थे तथा सीढियों से बना दरवाजा खुला हुआ था रात में लगभग 12 से 02 बजे के बीच अज्ञात चोरों द्वारा उनकी अलमारी में रखे जेवरात व नगदी चोरी कर लिए। उनके के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,जिसमें एक चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.06.2025 को घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र

धर्मदास कुशवाहा नि0 कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा (म.प्र.) 2.शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार नि0 मन्कुवाँ थाना मऊ जिला चित्रकूट 3.विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा नि0 ग्रा0 देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना व दिनांक 12.12.2025 को अभियुक्त सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र भानू प्रताप निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही/पूँछताछ में बताया गया कि चोरी का कुछ माल एक महिला को बेच दिया है अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर महिला आरक्षी ने महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला से पूँछताछ की गयी तो अपना नाम साधना सोनी पत्नी उमाशंकर सोनी निवासी जगू की गली शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। गिरफ्तार महिला द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि करीब 7 महीने पहले मैने तीन अंगूठी पीली सोने की व एक लॉकेट सोने का व तीन-चार दाने सोने के मुझे बेचे थे उन सभी जेवरातो को मैने अपने घर में गला दिया था। जेवरातो का गला हुआ सोने का पीली धातु का टुकड़ा मेरे पास रखा है। महिला ने अपने घर के अन्दर से एक अदद पीली धातु का टुकड़ा निकालकर दिया जिसका वजन अभियुक्ता साधना के घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे में वजन किया गया तो लगभग 12 ग्राम पाया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह
- 2.आरक्षी राहुल यादव
- 3.आरक्षी लवकुश
- 4.आरक्षी विमलेश
- 5.महिला आरक्षी दीक्षा यादव